संख्या–447/नौ–7–2020

प्रेषक

प्रमुख सचिव
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त।
3. समस्त अधिशसी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च 2020

विषयः– प्रदेश के नगरीय निकायों में खाद्य सामग्री, तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

आप अवगत है कि कोरोना वायरस कोविड–19 के कारण सम्पूर्ण देश लॉक–डाउन की स्थिति में है। इस अवधि में सामान्य जनता तक प्रत्येक खाद्य सामग्री आदि डोर–टु– डोर उपलब्ध कराया जाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद एक आवश्यक वस्तु है जिसकी जरूरत प्रत्येक नागरिक को प्रतिदिन रहती है। दुग्ध विकास विभाग एवं प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन ने सभी दुग्ध संघों (पराग डेयरी) को अपनी कार्य योजना बनाकर पराग के साथ अन्य निजी क्षेत्र की दुग्ध उत्पादक/वितरक संस्थाओं यथा– अमूल, नमस्ते इण्डिया, ज्ञान, पारस इत्यादि के साथ ही निजी डेयरियों एवं दूधियों के द्वारा उत्पादित/वितरित किए जाने वाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के सुनियोजित रूप से डोर–टु–डोर वितरण कराने हेतु निर्देश निर्गत किये हैं एवं दुग्ध संघ प्रभारी/प्रबन्धक को सम्बन्धित जनपद हेतु नोडल बनाया है।

स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में सीधे जनता से जुड़े रहकर जन सुविधा के कार्यो को कर रहे हैं। दुग्ध संघों के सीमित मैन–पावर को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने–अपने नगरीय क्षेत्रों में दुग्ध संघों में नामित नोडल अधिकारियों से समन्वय कर यह सुनिश्चित करायें कि सामान्य जनता को तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद घर पर ही मिल सके। दुग्ध संघ प्रबन्धक (पराग डेरी) इस उद्देश्य हेतु नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के साथ समन्वयक के रूप में कार्य करेगें।

तदनुसार सभी नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में दुग्ध आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने में समन्वय एवं सहयोग प्रदान करें ताकि डोर–टू–डोर दुग्ध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

27/03

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि :

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।
2– प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– प्रबन्धक निदेशक, पीसीडीएफ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त के कम में अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश निर्गत करें।
5– दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6– कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाईल।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

Scanned by CamScanner